न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 190/2023
GCMS NO. : 2023/00483

–: वादीगण :–

1. मंगलाराम पुत्र पाबुराम
2. बादरराम पुत्र पाबुराम
3. रामनिवास पुत्र पाबुराम जातियान जंगलिया निवासीगण बांझाकुड़ी तहसील जैतारण जिला ब्यावर, राजस्थान

बनाम

–: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला– ब्यावर (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956।

तारीख रजू:. 27/07/2023

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमावत,राजुराम कुमावत अधिवक्ता, वादीगण।
2. पैरोकार सरकार, तहसीलदार जैतारण प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 26/06/2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बांझाकुडी पटवार हल्का बांझाकुडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित खसरा नम्बर 84 रकबा 5.3095 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म गै0मु0 तेड़ की कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादीगण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादीगण के पिता पाबुराम पुत्र केसाराम फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 20/01/2006 मे वादीगण के लाड प्यार के एवं घर मे बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाले वादीगण संख्या 1 का नाम मलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का नाम रूपाराम पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 का नाम रामलाल पुत्र पाबुराम के नाम से नामान्तरणकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण संख्या 1 का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम बादरराम पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र पाबुराम है जो वादीगण के आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय कार्ड, राशन कार्ड आदि मे भी वादीगण संख्या 1 का नाम मंगलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का नाम बादरराम

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 का नाम रामनिवास पुत्र पाबुराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रॉंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही है तथा इस रॉंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 13/07/2023 को वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई व अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने हेतू आवेदन करने की आवश्यकता हुई तब राजस्व रेकर्ड की नकलें पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर जानकारी प्राप्त हुई तब वादीगण ने हल्का पटवारी एवं तहसीलदार महोदय जैतारण को उक्त रोग एन्ट्री को दुरुस्त करने का निवेदन करने पर तहसीलदार महोदय जैतारण द्वारा उक्त रॉंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरुस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रांग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीगण का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1 अपना सही एवं वास्तविक तथा दस्तोवजी नाम मगलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 अपना सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम बादरराम पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 अपना सही व वास्तवित तथा दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र पाबुराम दर्ज करवाने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होने से उक्त वादपत्र श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नही उठा पा रहे हैं न ही ऋण आदि व किसान कार्ड आदि बन रहा है जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया। इसलिए सहखातेदारान् के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए सहखातेदारान् काश्तकारान् को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने मे समय लगेगा तब तक वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 13/07/2023 को पटवारी महोदय जैतारण व तहसीलदार महोदय जैतारण से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रॉंग एन्ट्री हटाने का कथन पर बमुकाम बांझाकुडी तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे पैदा हुआ जो श्रीमानू के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमानू के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

वादीगण के पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण 1214 दिनांक 20/01/2006 मे वादीगण संख्या एक का नाम मलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का नाम रूपाराम पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 का नाम रामलाल

उपखण्ड-अधिकारी एवं [illegible]
[illegible] कलक्टर, जैतारण [illegible]

पुत्र पाबुराम दर्ज किया गया है जो एक रोंग एन्ट्री है एवं गलत इन्द्राज है जिसे हटाया जावे एवं उसके स्थान पर रेकर्ड दुरुस्त कर वादीगण संख्या एक का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम बादरराम पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र पाबुराम के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज किया जावे इस आशय का राजस्व रेकर्ड जरिये घोषणा के दर्ज किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जावे व वादीगण का सही व वास्तविक नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज घोषित किया जावे उक्त रोंग एन्ट्री को हटाया जावे इस आशय की घोषणा व राजस्व रेकर्ड दुरुस्त की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाकर पालना तहसीलदार जी जैतारण से दुरुस्त करवाई जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाब वादपत्र तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत वाद में बिन्दुवार जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम बांझाकुड़ी के ख.न. 84 रकबा 5.3095 किस्म बा.अ. ख.न. 85 रकबा 0.0405 किस्म गै.मु. तेड़ वादीगण की सहखातेदारी भूमि है। वादीगण का नाम रेकर्ड में वादीगण के पिता पाबुराम की मृत्यु होने से फौतेदगी नामान्तरण सं 1214 दिनांक 20/1/2006 द्वारा वादीगण का नाम मलाराम पुत्र पाबूराम, रूपाराम पुत्र पाबूराम, रामलाल पुत्र पाबूराम दर्ज किया गया था। सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परीचय कार्ड राशन कार्ड इत्यादि अनुसार वादीगण के सही नाम मंगलाराम पुत्र पाबुराम, बादरराम पुत्र पाबुराम, रामनिवास पुत्र पाबूराम है। ग्राम बांझाकुडी के ख.न. 84,85 मे वादीगण का गलत इन्द्राज जरीए विरासत नामा. स. 1214 दि. 20/1/2006 से हुआ था। विभिन्न सरकारी दस्तावेज पहचानपत्र, आधार कार्ड, सरकारी दस्तावेज में वादीगण के सही नाम मगंलाराम पुत्र पाबूराम, बादरराम पुत्र पाबूराम, रामनिवास पुत्र पाबूराम होने के कारण वाद दायर किया गया है

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बांझाकुडी पटवार हल्का बांझाकुडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित खसरा नम्बर 84 रकबा 5.3095 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म गै0मु0 तेड़ की कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादीगण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में कृषि वादीगण बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादीगण के पिता पाबुराम पुत्र केसाराम फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 20/01/2006 मे वादीगण के लाड प्यार के एवं घर मे बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाले वादीगण संख्या 1 का नाम मलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का नाम रूपाराम पुत्र पाबुराम एवं

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

वादीगण संख्या 3 का नाम रामलाल पुत्र पाबुराम के नाम से नामान्तरणकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण संख्या 1 का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबुराम व वादीगण संख्या 2 का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम बादरराम पुत्र पाबुराम एवं वादीगण संख्या 3 का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम रामनिवास पुत्र पाबुराम है। अतः वादीगण ने जरिये घोषणात्मक डिक्री भू-अभिलेख में अपना सही एवं वास्तविक नाम दर्ज करवाने की इस्तदुआं की हैं।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम बांझाकुड़ी के ख.न. 84 रकबा 5.3095 किस्म बा.अ. ख.न. 85 रकबा 0.0405 किस्म गै.मु. तेड़ वादीगण की सहखातेदारी भूमि है। वादीगण का नाम रेकर्ड में वादीगण के पिता पाबुराम की मृत्यु होने से फौतेदगी नामान्तरण सं 1214 दिनांक 20/1/2006 द्वारा वादीगण का नाम मलाराम पुत्र पाबूराम, रूपाराम पुत्र पाबूराम, रामलाल पुत्र पाबूराम दर्ज किया गया था। जमाबंदी में दर्ज नाम जरिये नामान्तरकरण के दर्ज किये गये है, जो कि वादीगण के दस्तावेजात अनुसार नहीं है। विभिन्न सरकारी दस्तावेज पहचानपत्र, आधार कार्ड, सरकारी दस्तावेज में वादीगण के सही नाम मगंलाराम पुत्र पाबूराम, बादरराम पुत्र पाबूराम, रामनिवास पुत्र पाबूराम है।

3. हस्तगत वादपत्र में वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी मंगलाराम पुत्र पाबुराम, बादरराम पुत्र पाबुराम व रामनिवास पुत्र पाबुराम की ओर से PW-01,PW-02 व PW-03 शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष के समर्थन में कथन किया है कि उनके पिता पाबूराम के फौत होने के पश्चात् भरे फौतेदगी नामान्तरकरण में मानवीय त्रुटि एवं सहवन से वादीगण के घरेलू बोलचाल के नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिये गये जो कि एक रोंग एन्ट्री है तथा वादी संख्या एक का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबूराम, वादी सं 2 का वास्तविक नाम बादरराम पुत्र पाबूराम तथा वादी संख्या 3 का वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र पाबूराम है।

4. वादीगण के साक्ष्य गवाह में गवाह बक्साराम पुत्र सीयाराम जाति गुर्जर निवासी- बांझाकुड़ी तहसील जैतारण ने साक्ष्य शपथ पत्र PW-04 में कथन किया है कि मैं वादीगण के गांव का ही मूल निवासी होने से तथा वादीगण की कृषि भूमि मुझ शपथकर्ता की खातेदारी भूमि के पास में ही स्थित होने से तथा मेरा इनकी भूमियों पर एवं घर पर आना जाना होने से मुझे इन सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है। वादीगण के पिता पाबूराम के फौत होने के पश्चात् भरे फौतेदगी नामान्तरकरण में मानवीय त्रुटि एवं सहवन से वादीगण के घरेलू बोलचाल के नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिये गये जो कि एक रोंग एन्ट्री है तथा वादी संख्या एक का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबूराम, वादी सं 2 का वास्तविक नाम बादरराम पुत्र पाबूराम तथा वादी संख्या 3 का वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र पाबूराम है। वादीगण ने सही एवं वास्तविक तथा दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश किया है।

([illegible] सुन्दर [illegible])
उपखण्ड-अधिकारी एवं [illegible]
[illegible] कलक्टर, जैतारण ([illegible])

5. वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य– सबूत के रूप में प्रदर्श सं 1 जमाबंदी संवत 2073-76, प्रदर्श सं 2 नक्शा, प्रदर्श सं 3 खसरा नक्शा ख.सं. 84, प्रदर्श 4 नामान्तरण की प्रति, प्रदर्श सं 5A आधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 6A मतदान पहचान पत्र की फोटोप्रति, प्रदर्श 7A राशन कार्ड की फोटोप्रति इत्यादि, उक्त दस्तावेजों में वादी मंगलाराम पुत्र पाबुराम के नाम सही व वास्तविक नाम मंगलाराम पुत्र पाबुराम का अंकन है।

6. वादी संख्या 2 द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य– सबूत के रूप में प्रदर्श सं 8A आधार फोटोप्रति, प्रदर्श सं 9A जनआधार फोटोप्रति व प्रदर्श 10A मूल राशन कार्ड की फोटोप्रति इत्यादि उक्त दस्तावेजों में वादी बादरराम पुत्र पाबुराम के नाम सही व वास्तविक नाम बादरराम पुत्र पाबुराम का अंकन है।

7. वादी संख्या 3 द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य– सबूत के रूप में प्रदर्श सं 11A आधार फोटोप्रति, प्रदर्श 12A मूल मतदान पहचान पत्र की फोटोप्रति, प्रदर्श सं 13A जनआधार फोटोप्रति व प्रदर्श 14A मूल राशन कार्ड की फोटोप्रति इत्यादि, उक्त दस्तावेजों में वादी रामनिवास पुत्र पाबुराम के नाम सही व वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र पाबुराम का अंकन है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ पर कारित कथन के अनुसार वादी संख्या 01 का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबूराम, वादी सं 02 का वास्तविक नाम बादरराम पुत्र पाबूराम तथा वादी संख्या 03 का वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र पाबूराम है। **अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज वादीगण के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में वादीगण का नाम उनके सही एवं दस्तावेजी नाम के अनुरूप दर्ज किया जा सकता है।**

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता हैं वादी संख्या 01 का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र पाबूराम वादी सं 02 का वास्तविक नाम बादरराम पुत्र पाबूराम तथा वादी संख्या 03 का वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र पाबूराम है। वादीगण का भू-अभिलेख में नाम जरिये फौतदेगी नामान्तरण के दर्ज हुआ है, जिसमें वारिसान का घरेलू प्रचलित या आधा अधूरा अथवा लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम का भू-अभिलेख में दर्ज हो गया मालूम होता है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो तथा सरकारी दस्तावेजात अनुरूप हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

(श्याम सुन्दर [illegible])
उपखण्ड-अधिकारी एवं [illegible]
[illegible] कलक्टर, जैतारण([illegible])

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बांझाकुडी, पटवार हल्का बांझाकुडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 84, खसरा नम्बर 85 में बतौर खातेदार दर्ज वादी संख्या एक मंगलाराम पुत्र पाबुराम का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"मलाराम"***, वादी संख्या दो बादरराम पुत्र पाबुराम का अपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"रूपाराम"*** एवं वादी संख्या तीन रामनिवास पुत्र पाबुराम का अपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"रामलाल"*** को विलोपित करते हुये इनके स्थान पर खातेदारान् का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम क्रमशः ***"मंगलाराम"*** ***"बादरराम"*** तथा ***"रामनिवास"*** सही करते हुए मंगलाराम पुत्र पाबुराम, बादरराम पुत्र पाबुराम एवं रामनिवास पुत्र पाबुराम को खातेदार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुए भू–अभिलेख को अध्यतन एवं परिशुद्ध करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी(भू–अभिलेख अधिकारी) जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 26/06/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी(भू–अभिलेख अधिकारी) जैतारण
(जिला–ब्यावर)